गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद।

पत्रांकः-593 /सम्पत्ति/2023-24 दिनांकः- 3-4-2023

नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषयः- खसरा नम्बर-953 ग्राम नूरनगर गाजियाबाद के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांकः-जी.डी.ए./बी.पी./22-23/1392/एन.ओ.सी. दिनांक 23 जनवरी, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा खसरा संख्या-953 ग्राम नूरनगर राजनगर एक्सटेन्शन पर ग्रुप हाऊसिंग के साईट प्लान की प्रति संलग्न करते हुये नगर निगम की भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सम्पत्ति अनुभाग से आख्या प्राप्त की गयी। सम्पत्ति विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसमें उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि स्थित ग्राम नूरनगर परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद खसरा संख्या-953 क्षेत्रफल 0.6177 हे0 विकासकर्ता कम्पनी के नाम दर्ज है। खसरा संख्या-953 के दक्षिण में क्रमशः नाली खसरा संख्या-951 व चकमार्ग खसरा संख्या-950 स्थित है, जिसे विकासकर्ता कम्पनी मेढ लगाकर पृथक किया हुआ है। खसरा संख्या-951 व खसरा संख्या-950 के सम्बन्ध में विकासकर्ता कम्पनी की ओर से इस आशय का शपथ-पत्र दिया है कि उनकी भूमि के दक्षिण में 12.5 फुट की सरकारी चकरोड व नाली है, जिसको भविष्य में हमेशा आवागमन के लिये खाली रखेंगे तथा कभी कब्जा नही करेंगे। प्रश्नगत भूमि के मध्य नगर निगम की भूमि नही है। उक्त अनापत्ति नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा रही है कि मैसर्स एस.जी. एस्टेट प्रा0 लि0 द्वारा उत्सर्जित कूड़े का निस्तारण ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध अधिनियम-2016 के अनुसार बल्क वेस्ट जनरेटर्स हेतु निर्धारित उपबन्धों/नियमों एवं नगर निगम गाजियाबाद द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन में किया जाना अनिवार्य होगा।

1.4.23

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम।